

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/147/2021

रजू दिनांक: 20.09.2021

रजि0 न0 2021/289

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री राजूसिंह यादव पुत्र नवलसिंह यादव, लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
नि0 डी-4/53, अपना घर शालीमार जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर
अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 05.10.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.10.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1798 दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि संबंधित प्रभारी अधिकारी (राजस्व प्रकोष्ठ) कलेक्टर, अलवर के पत्र 12-3(03)राजस्व/सूअ/2021/4000 दिनांक 19.08.2021 के माध्यम से प्राप्त सूचना कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./विविध/2021/1620 दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। वांछित सूचना अन्य दीगर व्यक्तियों के व्यवसाय व व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 व 9 के तहत देय नहीं है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्मूल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर, अलवर